उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3

संख्या– 86 /60–3–12–13(39)/12

लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञाप

राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु सभी तरह के कार्यो एवं महिलाओं से संबंधित समस्त योजनाओं का कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण किया जाना है जिसके अन्तर्गत लैंगिक निर्णय, कार्यक्रम, स्वास्थ्य मिशन सर्व शिक्षा अभियान इत्यादि कार्यक्रमों के लिए एकीकृत संस्था के रूप में कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 की अधिसूचना संख्या–32 मु0मं0 /69–3–12–13 (39)/10 दिनांक 14 जनवरी, 2013 द्वारा राज्य महिला संसाधन केन्द्र (State Resource Center for Women) का गठन किया गया है। राज्य महिला संसाधन केन्द्र (State Resource Center for Women) की स्थापना की कार्यवाही वरीयता के आधार पर की जा रही है। उक्त कार्यवाही पूर्ण होने तक की अवधि में समस्त कार्यो की निरन्तरता बनाए रखने हेतु राज्य महिला संसाधन केन्द्र (State Resource Center for Women) का गठन किया जाता है, जो पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का होगा। राज्य महिला संसाधन केन्द्र (State Resource Center for Women) का नियमित रूप से गठन के उपरान्त अस्थायी रूप से कार्यरत रिसोर्स सेन्टर स्वतः निष्प्रभावी हो जायेगा। यह रिसोर्स सेन्टर समस्त अन्तर्विभागीय सूचनाओं को एकीकृत करने एवं महिलाओं के सर्वागींण विकास हेतु केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का निरन्तर अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेंगी। राज्य महिला संसाधन केन्द्र (State Resource Center for Women) का स्वरूप निम्नवत् होगाः–

1–	प्रोजेक्ट एडवाइजर	निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
2–	स्टेट कोआर्डिनेटर	संयुक्त निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0।
3–	रिसर्च आफीसर	उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, मुख्यालय।
4–	कोआर्डिनेटर	श्री सुमित प्रतिनिधि यूनिसेफ।
5–	डाटा इन्ट्री आपरेटर	कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ।
6–	हेल्पर	कार्यालय में उपलब्ध स्टाफ

उपरोक्त रिसोर्स सेन्टर में नामित अधिकारियों को सौंपे गए अतिरिक्त कार्यो हेतु किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भत्ता अथवा धनराशि देय नहीं होगी।

2— उपरोक्त उल्लिखित अधिकारियों को रिसोर्स सेन्टर से संबंधित सौपे गए उत्तरदायित्व का निर्वहन सुनिश्चित करेंगे। इस संबंध में यह भी सुनिश्चित किया जाय कि राज्य स्तर पर महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के उत्थान हेतु चलाए जा रहे कार्यक्रमों के मध्य सामंजस्य एवं अन्तर्विभागीय तालमेल भी सुनिश्चित करते हुए संकलित प्रगति आख्या प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध करायेंगे। अन्य विभाग के अधिकारियों जिनके द्वारा रिसोर्स सेन्टर की अपेक्षित सूचनायें उपलब्ध कराने हेतु बाध्य होगें, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि मासान्त तक निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

3— उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रदेश में संचालित की जाने वाली समस्त प्रायोगिक परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार कराते समय पंचायती राज विभाग से भी परामर्श लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21/1/13

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव।

संख्याः 86(1)/60—3—12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— कार्यकारी निदेशक, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नयी दिल्ली।
2— समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, महिला कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6— संबंधित अधिकारीगण।
7— समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
21/1/13
(मिश्री लाल पासवान)
विशेष सचिव।